[2019] 3 उम. नि. प. 225

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

विक्रम दास

[2019 की दांडिक अपील सं. 208]

8 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 142 [सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x)] – अत्याचार का अपराध – दंडादेश – न्यायालय द्वारा न्यूनतम दंडादेश का घटाया जाना – न्यायालय, विधि में अनुध्यात न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिरोपित नहीं कर सकता है और न ही न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिरोपित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का अवलंब लिया जा सकता है ।

प्रस्तुत मामले में राज्य ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर न्यायपीठ द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध के लिए उतने दंडादेश से, जितना वह पहले भुगत चुका है, दंडादिष्ट किया गया था किन्तु जुर्माने को 500/- रुपए से बढ़ाकर 3,000/- रुपए कर दिया गया था । उच्च न्यायालय का उपर्युक्त आदेश इस मामले में के प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील में पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और छह मास का कठोर कारावास भुगतने और 500/- रुपए के जुर्माने के लिए दंडादिष्ट किया गया था । अपील में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के काउन्सेल के इस कथन को अभिलिखित किया है कि वह अपील पर गुणागुण के आधार पर बल नहीं

देना चाहता है और उसने अपने तर्क को केवल दंडादेश के भाग तक ही सीमित रखा । इस कथन के आधार पर ही अपील का निपटारा किया गया था । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का आदेश कायम रखा । तथापि, अपीलार्थी को अधिनिर्णीत छह मास के कठोर कारावास को उसके द्वारा पहले से भुगत लिए गए दंडादेश की सीमा तक उपांतरित किया गया । उसके कारागार दंडादेश को अपास्त किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित 500/- रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 3,000/- रुपए (केवल तीन हजार रुपए) किया गया । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) में उस अवधि के दंडादेश के लिए उपबंध किया गया है जो छह मास से कम नहीं होगा किन्तु जो जुर्माने सहित पांच वर्ष तक का हो सकेगा । अतः, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय कानून द्वारा अनुध्यात न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिनिर्णीत कर सकता था । जहां न्यूनतम दंडादेश के लिए उपबंध किया गया हो वहां न्यायालय न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिरोपित नहीं कर सकता है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के उपबंधों का न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिरोपित करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है । प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के संबंध में विवाद नहीं किया गया है क्योंकि दंड की मात्रा के संबंध में ही विवाद किया गया है । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कानून द्वारा अनुध्यात न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिनिर्णीत नहीं कर सकता था । अतः, प्रस्तुत अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है । प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन किसी अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शेष दंडादेश भुगतेगा । प्रत्यर्थी चार सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करेगा । (पैरा 4, 8, 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017] (2017) 2 एस. सी. सी. 198 : **मोहम्मद हाशिम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 7

[2012] (2012) 7 एस. सी. सी. 80 : **नरेन्द्र चंपकलाल त्रिवेदी** बनाम **गुजरात उच्च न्यायालय** ; 5

[2004] (2004) 4 एस. सी. सी. 590 : **राज्य** बनाम **रतन लाल अरोड़ा** । 6

दांडिक अपीली अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 208.

2007 की दांडिक अपील सं. 654 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर न्यायपीठ के तारीख 8 मई, 2012 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री वैभव श्रीवास्तव, उप-महाधिवक्ता, वरुण चोपड़ा, सहायक महाधिवक्ता, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दूबे, मुकेश कुमार, (सुश्री) इंदिरा भाकर और शांतनु सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री हरमीत सिंह रूप्राह, नवज्योत सिंह, अनूप जैन और प्रणव पाठक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – राज्य ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 8 मई, 2012 के उस आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3(1)(xi)

के अधीन अपराध के लिए उतने दंडादेश से, जितना वह पहले भुगत चुका है, दंडादिष्ट किया गया था किन्तु जुर्माने को 500/- रुपए से बढ़ाकर 3,000/- रुपए कर दिया गया था ।

2. उच्च न्यायालय का उपर्युक्त आदेश इस मामले में के प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित तारीख 12 मार्च, 2007 के उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील में पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और छह मास का कठोर कारावास भुगतने और 500/- रुपए के जुर्माने के लिए दंडादिष्ट किया गया था ।

3. अपील में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के काउन्सेल के इस कथन को अभिलिखित किया है कि वह अपील पर गुणागुण के आधार पर बल नहीं देना चाहता है और उसने अपने तर्क को केवल दंडादेश के भाग तक ही सीमित रखा । इस कथन के आधार पर ही अपील का निपटारा किया गया था । उच्च न्यायालय के आदेश का सुसंगत उद्धरण निम्नलिखित रूप में है :-

> "(2) अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने प्रारंभ में ही यह निवेदन किया कि वह अपील पर गुणागुण के आधार पर बल नहीं देना चाहता है और उसने अपने तर्कों को केवल दंडादेश के भाग तक ही सीमित रखा । उसने केवल दंड की मात्रा को ही चुनौती दी है । उसने यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने 500/- रुपए के जुर्माने की रकम जमा करा दी है और उसने विचारण के दौरान 11 दिनों का दंडादेश भुगत लिया है ।.....
>
> (5) तद्नुसार, अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील भागतः मंजूर की जाती है । अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का आदेश कायम रखा जाता है । तथापि, अपीलार्थी को अधिनिर्णीत छह मास के कठोर कारावास को उसके द्वारा पहले से भुगत लिए गए दंडादेश की सीमा तक उपांतरित किया जाता है । उसके कारागार दंडादेश को अपास्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित 500/- रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 3,000/- रुपए (केवल

तीन हजार रुपए) किया जाता है । ...."

4. अधिनियम की धारा 3(1) में उस अवधि के दंडादेश के लिए उपबंध किया गया है जो छह मास से कम नहीं होगा किन्तु जो जुर्माने सहित पांच वर्ष तक का हो सकेगा । अतः, एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय कानून द्वारा अनुध्यात न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिनिर्णीत कर सकता था । सुसंगत धारा 3(1)(xi), जैसी कि वह 2016 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 1 द्वारा किए गए संशोधन से पूर्व थी, निम्नलिखित रूप में है :–

> "3. अत्याचार के अपराध के लिए दंड - (1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,-
>
> .....
>
> (xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जाभंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा;
>
> .....
>
> वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा ।"

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने **नरेन्द्र चंपकलाल त्रिवेदी** बनाम **गुजरात उच्च न्यायालय**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें अपीलार्थी द्वारा उठाए गए इस तर्क को नामंजूर कर दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिनिर्णीत किया जा सकता है । न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया :–

> "27. अपीलार्थियों के विद्वान् काउन्सेल की दलील, यदि हम उसे सही प्रकार से समझे तो सारतः यह है कि संविधान के

---

[1] (2012) 7 एस. सी. सी. 80.

अनुच्छेद 142 के अधीन शक्ति का अवलंब लिया जाना चाहिए । इस संदर्भ में, हम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील **बनाम** अब्दुल गनी [1997) 8 एस. सी. सी. 713] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रति लाभप्रद रूप में निर्देश कर सकते हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों को किसी भी प्रकार किसी कानूनी उपबंध द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है किन्तु इसके साथ-साथ ये शक्तियों तब प्रयोग किए जाने के लिए नहीं होती जब उनका प्रयोग करना इस विषय से अभिव्यक्ततः संबंधित किसी कानून में जो कुछ अभिव्यक्त रूप से उपबंध किया गया है, उसके प्रत्यक्षतः परस्पर विरोधी है । उक्त विनिश्चय में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह न्यायालय किसी कानून के सारवान् उपबंधों को पूर्णतः अनदेखा नहीं कर सकता ।

* * * *

30. विधि संबंधी उपर्युक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, जहां न्यूनतम दंडादेश का उपबंध किया गया है, वहां हम यह समझते हैं कि तथाकथित न्यूनीकरण करने वाले कारकों के आधार पर दंडादेश को घटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा क्योंकि यह कानूनी आज्ञा का स्थान लेने की कोटि में आएगा और इसके अलावा ऐसे मुख्य कानूनी उपबंध की अवज्ञा करने की कोटि में आएगा जिसमें रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने से संबंधित किसी आपराधिक कार्य के लिए न्यूनतम दंडादेश विहित किया गया है । रकम छोटी हो सकती है किन्तु इस किस्म की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने और रोकने के लिए विधान-मंडल ने न्यूनतम दंडादेश विहित किया है । इस बात को सर्वोपरि रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न तो सहानुभूति और न ही नरमी का पात्र है । वास्तव में, दंडादेश को घटाने का अर्थ पुरस्कार को बढ़ावा देना होगा । विधि इसका समर्थन नहीं करती और ऐसा ठीक भी है क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी राष्ट्र के मेरूदंड

का क्षय करता है और अंततोगत्वा उसकी अर्थव्यवस्था को निष्फल बना देता है ।"

6. **राज्य** बनाम **रतन लाल अरोड़ा**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे संक्षेप में 'भ्रष्टाचार अधिनियम' कहा गया है) के अधीन आने वाले अपराधों के दोषसिद्ध व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (जिसे संक्षेप में 'परिवीक्षा अधिनियम' कहा गया है) का फायदा प्रदान करने पर विचार किया था । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे मामलों में, जहां परिवीक्षा अधिनियम के पश्चात् अधिनियमित किसी अधिनियमिति में कारावास का न्यूनतम दंडादेश विहित किया गया है वहां परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :-

> "12. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13 में अधिकतम दंडादेश तथा जुर्माना अधिरोपित करने के अतिरिक्त क्रमशः छह मास और एक वर्ष के न्यूनतम दंडादेश का उपबंध किया गया है । इसके अलावा, धारा 28 में यह अनुबंध किया गया है कि अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे । अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क **बनाम** बाहुबली [(1979) 2 एस. सी. सी. 279] वाले मामले में, इस न्यायालय ने, परिवीक्षा अधिनियम के अधीन अनुतोष प्रदान करने संबंधी एक दावे के संदर्भ में अधिनियम की धारा 28 में प्रतिष्ठापित उद्देश्य से लगभग समरूप भारत रक्षा नियमों के नियम 126-पी(2)(ii), जिसमें न्यूनतम दंडादेश विहित किया गया है और भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 43 पर विचार करते समय यह मत व्यक्त किया कि ऐसे मामलों में, जहां परिवीक्षा अधिनियम के पश्चात् अधिनियमित किसी विनिर्दिष्ट अधिनियमिति में कारावास का न्यूनतम दंडादेश विहित किया गया है वहां परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों का तब अवलंब नहीं लिया

---

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 590.

जा सकता है यदि विशेष अधिनियम में ऐसे किसी अन्य अधिनियम के प्रतिनिर्देश किए बिना, जिसमें विशेष अधिनियमिति के अल्पीकरण में कोई उपबंध अंतर्विष्ट है, उसे प्रवृत्त करने वाला कोई उपबंध है तब अभियुक्तों को परिवीक्षा अधिनियम का फायदा प्रदान करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।....."

7. **मोहम्मद हाशिम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में जिस प्रश्न की परीक्षा की गई थी वह दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (जिसे संक्षेप में '1961 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अपराध के लिए उपबंधित न्यूनतम दंडादेश के संबंध में था, जिसमें छह मास के न्यूनतम दंडादेश का उपबंध किया गया है । उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परिवीक्षा अधिनियम का फायदा वहां प्रदान नहीं किया जा सकता है जहां न्यूनतम दंडादेश का उपबंध किया गया है । न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"19. विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि विधान-मंडल ने उस अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित करने के लिए अनुबंध किया है जो कि छह मास से कम का नहीं होगा और परन्तुक में केवल यह कहा गया है कि दंडादेश को छह मास से कम अवधि के लिए घटाया जा सकता है और इसलिए इसका अर्थ न्यूनतम दंडादेश के रूप में लगाना होगा । अरविन्द मोहन सिन्हा [(1974) 4 एस. सी. सी. 222] और रतन लाल अरोड़ा [(2004) 4 एस. सी. सी. 590] वाली नज़ीरों को ध्यान में रखते हुए हमें उक्त निवेदन में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । हम इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट करते हैं कि जब विधान-मंडल ने विवेकाधिकार के बिना न्यूनतम दंडादेश विहित किया है तब उसे न्यायालयों द्वारा घटाया नहीं जा सकता है । ऐसे मामलों में, न्यूनतम दंडादेश अधिरोपित करना, चाहे वह कारावास हो या जुर्माना, आज्ञापक है और इससे न्यायालय के पास कोई विवेकाधिकार नहीं रहता है । तथापि, कभी-

[1] (2017) 2 एस. सी. सी. 198.

कभी विधान में न्यूनतम दंडादेश विहित किया जाता है किन्तु विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है तथा न्यायालय, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए गए हों, निम्नतर दंडादेश अधिनिर्णीत कर सकते हैं या कारावास का दंडादेश अधिनिर्णीत नहीं कर सकते हैं । ऐसे विवेकाधिकार के अंतर्गत अभियुक्त को कारागार में न भेजने का विवेकाधिकार भी आता है । न्यूनतम दंडादेश का अभिप्राय ऐसा दंडादेश है, जो कि न्यायालय के लिए कोई विवेकाधिकार छोड़े बिना अवश्य ही अधिरोपित किया जाना चाहिए । इससे दंडादेश की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे नियत अवधि से नीचे घटाया नहीं जा सकता है । यदि दंडादेश को घटाकर शून्य किया जा सकता है तो कानून में कोई न्यूनतम दंडादेश विहित नहीं किया गया है । ऐसे उपबंध की, जिसमें न्यायालय को न्यूनतम दंडादेश अधिनिर्णीत न करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, तुलना उस उपबंध से नहीं की जा सकती है, जिसमें न्यूनतम दंडादेश विहित किया गया है । अतः, ये दोनों उपबंध समरूप नहीं हैं और उनकी भिन्न-भिन्न विवक्षाएं हैं, जिनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए ।

* * * *

24. इस प्रक्रम पर, प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि अपील न्यायालय के समक्ष परिवीक्षा अधिनियम के अधीन रिहा किए जाने की ईप्सा करने के सिवाय गुणागुण के आधार पर कोई तर्क नहीं दिया गया था । हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई न्यूनतम दंडादेश नहीं है और इसलिए परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू होंगे । हमने यह राय भी व्यक्त की है कि न्यायालय को परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों और इस न्यायालय के पूर्व-निर्णयों से मार्गदर्शन प्राप्त करना है । मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउन्सेल की इस दलील को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं हैं कि वे अपील न्यायालय के समक्ष गुणागुण के आधार पर सभी मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे,

जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिनियम के अधीन रिहा करने की ईप्सा भी शामिल है ।"

8. इन उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कि जहां न्यूनतम दंडादेश के लिए उपबंध किया गया हो वहां न्यायालय न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिरोपित नहीं कर सकता है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के उपबंधों का न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिरोपित करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है ।

9. प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के संबंध में विवाद नहीं किया गया है क्योंकि दंड की मात्रा के संबंध में ही विवाद किया गया है । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कानून द्वारा अनुध्यात न्यूनतम दंडादेश से कम दंडादेश अधिनिर्णीत नहीं कर सकता था ।

10. अतः, प्रस्तुत अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है । प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन किसी अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शेष दंडादेश भुगतेगा । प्रत्यर्थी चार सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करेगा ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.